

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

सूचना

वाहन की नीलामी

पटना, दिनांक/2019

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्व के दो वाहन, जो विकास भवन, नया सचिवालय, पटना में रखे गये हैं, तथा जिनका विवरण नीचे अंकित है, 'जहाँ है, जैसी हालत में है', के आधार पर खुले ड्राक द्वारा नीलामी, नीलामी समिति की देखरेख में, दिनांक 07.11.2019 को 4.00 बजे अपराह्न में उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में की जाएगी।

प्रस्तावित नीलामी हेतु वाहन का निरीक्षण आवश्यकतानुसार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना में अवर सचिव/उप सचिव से सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय अवधि में कार्य दिवस में किया जा सकेगा।

वाहन का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	क्रय/वाहन निर्माण वर्ष	सुरक्षित जमा
1.	BR-01PD-0494	स्कार्पियो	2012	₹ 1,60,000 /-
2.	BR-01PB-9505	टाटा सफारी	2014	₹ 2,20,000 /-

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की प्रतिभूति (SECURITY) की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में बिहार सरकार के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह बैंक ड्राफ्ट दिनांक 05.11.2019 को 5.00 बजे अपराह्न तक अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. नीलामी में भाग लेनेवाले व्यक्ति को पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार संख्या, ड्राईविंग लाईसेंस में से किसी एक की अभिप्रमाणित प्रति देनी होगी।
3. नीलामी के समय परिचय पत्र/पहचान पत्र/पैन कार्ड एवं जमा राशि की रसीद के आधार पर नीलामी में भाग लेने दिया जाएगा एवं नीलामी के दिन मूल रूप में लाना होगा।
4. वैसे व्यक्ति जो नीलामी में असफल रहते हैं, को प्रतिभूति की राशि का ड्राफ्ट नीलामी के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा। वैसे व्यक्ति जिन्हें उच्चतम ड्राक के फलस्वरूप नीलामी में वाहन दिया जाना होगा, उनकी प्रतिभूति की राशि अंतिम निष्पादन तक रखी जाएगी।
5. सरकार द्वारा नीलामी के अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम ड्राक बोलनेवाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के अंदर नीलामी की सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर वाहन ले जाना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जाएगी।
6. सरकार के पास बिना कारण बताये ड्राक को अस्वीकृत अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. नीलामी की शर्तें विभागीय वेबसाईट yac.bih.nic.in एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट prdbihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

ह0/-

(तारानन्द महतो वियोगी)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/वि01-39/2019 ..12.80../

पटना दिनांक...21/10/19

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


सरकार के उप सचिव।